UPBS120005652021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 446/2021

रामसुन्दर आदि बनाम रामकुमार आदि

05.04.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए –

01. क्या वादीगण विवादित आराजी सं० 1441/1 रकबा 0.200 हे० के 1/4 भाग अर्थात 0.050 हे० प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र ए,बी,सी,डी के 3/16 भाग को अलग करा पाने के अधिकारी हैं?
02. क्या वादीगण विवादित आराजी सं० 1441/1 रकबा 0.200 हे० के 1/4 भाग अर्थात 0.050 हे० प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र ए,बी,सी,डी के मालिक व काबिज हैं?
03. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
04. क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
05. क्या दावा वादीगण कानूनन पोषणीय है?
06. क्या दावा वादीगण मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
07. क्या दावा वादीगण में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है?
08. क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
09. क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 3 व 4 दिनांक 21.05.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान बस्ती।